

हेमलता बनाम घीसासिंह व अन्य  
प्र०सं०-: 78/2023(रे०वाद)  
निर्णय दिनांक:-29/07/2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ जिला राजसमन्द  
(पीठारीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 78/2023 रे.वाद

दायर दिनांक - 04/08/2023

निर्णय दिनांक - 29/07/2025

अनवान

1. हेमलता पत्नी लालसिंह जाति रावत निवासी सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

वादी

बनाग

1. घीसासिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. किसनसिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. चुनीदेवी पुत्री वनासिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी ग्राम समेलिया (संडक का वाडिया) तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)।
4. पुजा पुत्री डाउसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
5. भवंरसिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
6. हीरासिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
7. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ।

प्रतिवादीगण



  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ, जिला राजसमन्द

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादिया ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादिया एवं एवं प्रतिवादीगण की शामिलती भूमि राजस्व ग्राम सांगावास-अ पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 403 आराजी संख्या 312, 331, 332 एवं 333 कुल किता 04 कुल रकबा 2.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 06 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीया का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	हेमलता पत्नी लालसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा0देह खातेदार	312/1 331/1 332/1 333/1	0.6866 0.3200 0.2100 0.2100	बारानी। बारानी। बारानी। बारानी।	2.74 0.06 1.05 1.05
	योग	किता-04	1.4266		4.9
2.	किसनसिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार घीसासिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार चूनीदेवी पुत्री वनासिंह हिस्सा 199/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार	312/2 331/2 332/2 333/2	0.4234 0.1000 0.1200 0.0700	बारानी। बारानी। बारानी। बारानी।	1.70 2.04 0.6 0.35



सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

हेमलता बनाम घीसासिंह व अन्य

प्र०सं०—: 78 / 2023(रे०वाद)

निर्णय दिनांक:—29 / 07 / 2025

पुजा पुत्री डाऊसिंह हिस्सा 1387 / 7134 जाति रावत सा०देह खातेदार				
भंवरसिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387 / 7134 जाति रावत सा०देह खातेदार				
हीरासिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387 / 7134 जाति रावत सा०देह खातेदार				
योग	किता-04	0.7134		4.37

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी Ar.S.)  
सहायक कलेक्टर  
देवा, जिला राजसमन्द  
जिला राजसमन्द

हेमलता बनाम घीसासिंह व अन्य  
प्र०सं०-: 78/2023(रे०वाद)  
निर्णय दिनांक:-29/07/2025  
अंतिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
मूल वाद मे डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) देवगढ़ जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या :-78/2023

अनवान

1. हेमलता पत्नी लालसिंह जाति रावत निवासी सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।

वादी

बनाम

1. घीसासिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. किसनसिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. चुनीदेवी पुत्री वनासिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द। हाल निवासी ग्राम समेलिया (संडक का वाडिया) तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)।
4. पुजा पुत्री डाउसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
5. भवंरसिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
6. हीरासिंह पिता वनासिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
7. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़।

प्रतिवादीगण



A  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

हेमलता बनाम घीसासिंह व अन्य

प्र0सं0-: 78 / 2023(रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-29 / 07 / 2025

में इस आशय में दिनांक 29/07/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया वादिया एवं एवं प्रतिवादीगण की शामिली भूमि राजस्व ग्राम सांगावास-अ पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 403 आराजी संख्या 312, 331, 332 एवं 333 कुल किता 04 कुल रकबा 2.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बावत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	हेमलता पत्नी लालसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा0देह खातेदार	312/1 331/1 332/1 333/1	0.6866 0.3200 0.2100 0.2100	बारानी। बारानी। बारानी। बारानी।	2.74 0.06 1.05 1.05
	योग	किता-04	1.4266		4.9
2.	किसनसिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार घीसासिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार चूनीदेवी पुत्री वनासिंह हिस्सा 199/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार पुजा पुत्री डाऊसिंह हिस्सा 1387/7134 जाति रावत सा0देह खातेदार	312/2 331/2 332/2 333/2	0.4234 0.1000 0.1200 0.0700	बारानी। बारानी। बारानी। बारानी।	1.70 2.04 0.6 0.35



(A)  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

हेमलता वनाम घीसासिंह व अन्य  
प्र०सं०-: 78 / 2023 (रि०वाद)  
निर्णय दिनांक:-29 / 07 / 2025

भंवरसिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387 / 7134 जाति रावत सा०देह खातेदार	हीरासिंह पुत्र वनासिंह हिस्सा 1387 / 7134 जाति रावत सा०देह खातेदार				
	योग	किता-04	0.7134		4.37

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर देवगढ़  
देवघर जिला राजसमन्द